24.5.23 पत्रावली महंगाई राहत कैम्प एंव प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 कैम्प ग्राम पंचायत केरिया मे पेश हुई तहसीलदार मांडल से संयुक्त रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी के पिता का सही नाम बाबूलाल है किन्तु त्रुटिवश राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी के पिता का नाम बाबूलाल के बजाय बालू लाल अंकित हो गया। जिसकी ताईद प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचानपत्र, पेनकार्ड एंव ग्राम पचायत केरिया आदि के दस्तावेज से होती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2023.12.28 13:52:01 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी |
|---|---|---|
| | मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत तहसीलदार मांडल की रिपर्ट का अध्ययन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजो का अध्ययन किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अत:<br><br>:: आदेश ::<br><br>प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम केरिया पटवार हल्का केरिया तहसील मांडल मे स्थित नया खाता सं. 447 मे अंकित आराजी नं. 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2071, 2072, 2090 कुल किता 08 कुल रकबा 2-7948 हैक्टेयर भूमि एवं खाता सं. 446 मे अंकित आराजी नं. 2070 रकबा 0.2782 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के पिता का नाम बालुलाल के बजाय बाबुलाल अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार माण्डल राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br><br>हुकमीचन्द रोहलानिया<br>उपखण्ड अधिकारी माण्डल<br>प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya<br>Date: 2023.12.28 13:52:01 IST<br>Reason: SelfAttested | |